रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72

REGISTERED NO. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 111] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 31, 1983/चैत्र 10, 1905
No. 111] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 31, 1983/CHAITRA 10, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 31 मार्च, 1983

सं. 93/83-सीमा-शुल्क

सा. का. नि. 293(अ) :—केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना सं. 200-सीमा-शुल्क तारीख 28 सितम्बर, 1979 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के पैरा 2 में "31 मार्च, 1983" अंकों और शब्दों के स्थान पर "30 जून, 1983" अंक और शब्द रखे जाएंगे ।

[फा सं. 355/53/83-सीमा-शुल्क-1]

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 31st March, 1983

No. 93/83-CUSTOMS

G.S.R. 293(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue, No. 200-Customs dated the 28th September, 1979, namely :—

In the said notification, for the figures, letters and words "31st day of March, 1983" the figures, letters and words "30th day of June, 1983" shall be substituted.

[F. No. 355/53/83-Cus. I]

सं. 94/83-सीमा-शुल्क

सा.का.नि. 294(अ) :—केन्द्रीय सरकार, वित्त विधेयक, 1983 के खण्ड 45 के उप-खण्ड (4) के जो खण्ड अनन्तिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त वित्त विधेयक में की गई घोषणा के कारण विधि का बल रखती है,

साथ पठित सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग की अधिसूचना सं. 71/83-सीमा-शुल्क तारीख 1 मार्च, 1983 का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के पैरा 2 में, "31 मार्च, 1983" अंकों और शब्दों के स्थान पर "30 जून, 1983" अंक और शब्द रखे जाएंगे ।

[फा. सं 355/53/83-सीमा-शुल्क-1]

No. 94/83-CUSTOMS

G.S.R. 294(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-clause (4) of clause 45 of the Finance Bill, 1983, which clause has, by virtue of the declaration made in the said Bill under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931), the force of law, the Central Government being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue, No. 71/83-Customs dated the 1st March, 1983, namely :—

In the said notification, for the figures, letters and words "31st March, 1983", the figures, letters and words "30th day of June, 1983", shall be substituted.

[F. No. 355/53/83-Cus. I]

सं. 95/83-सीमा-शुल्क

सा. का. नि. 295(अ) .—केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग की अधिसूचना सं. 179-सीमा-शुल्क 22 अगस्त, 1979 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के पैरा 2 में "31 मार्च, 1983" अंकों और शब्दों के स्थान पर "30 जून, 1983" अंक और शब्द रखे जाएंगे ।

[फा. सं. 355/2/83-सीमा-शुल्क-1]

No. 95/83-CUSTOMS

G.S.R. 295(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue No. 179-Customs, dated the 22nd August, 1979, namely :—

In paragraph 2 of the said notification, for the figures, letters and words "31st day of March, 1983", the figures, letters and words "30th day of June, 1983" shall be substituted.

[F. No. 355/2/83-Cus. I]

सं. 96/83-सीमा-शुल्क

सा. का. नि. 296(अ) :—केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग की अधिसूचना सं. 2-सीमा-शुल्क, तारीख 1 जनवरी, 1979 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के पैरा 2 में "31 मार्च, 1983" अंकों और शब्दों के स्थान पर "30 जून, 1983" अंक और शब्द रखे जाएंगे ।

[फा. सं. 355/2/83-सीमा-शुल्क-1]

No. 96/83-CUSTOMS

G.S.R. 296(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue, No. 2-Customs, dated the 1st January, 1979, namely :—

In paragraph 2 of the said notification, for the figures, letters and words "31st day of March, 1983", the figures letters and words "30th day of June, 1983" shall be substituted.

[F. No. 355/2/83-Cus. I]

सं. 97/83-सीमा-शुल्क

सा. का. नि. 297(अ) :—केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग की अधिसूचना सं. 197-सीमा-शुल्क, तारीख 14 अक्तूबर, 1978 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के पैरा 2 में "31 मार्च, 1983" अंकों और शब्दों के स्थान पर "31 मार्च, 1984" अंक और शब्द रखे जाएंगे ।

[फा. सं. 356/1/83-सीमा-शुल्क-1]

एन. शशिधरन, अवर सचिव

No. 97/83-CUSTOMS

G.S.R. 297(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue, No. 197-Customs, dated the 14th October, 1978, namely :—

In paragraph 2 of the said notification, for the figures, letters and words "31st day of March, 1983", the figures, letters and words "31st day of March, 1984" shall be substituted.

[F. No. 356/1/83-Cus. I]

N. SASIDHARAN, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983